

बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झाँसी

बीआईईटी-135/स्था0-का0आ0/2020-75)

दिनांक: 6 जून, 2020

-:: कार्यालय-आदेश ::-

संस्थान के समस्त संकाय सदस्यों/अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि, उ0प्र0 शासन ने उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिये कार्यालयों को 100 प्रतिशत सशर्त खोले जाने के आदेश शासनादेश संख्या 1382/2020/सीएक्स-3 दिनांक 31.05.2020 के द्वारा जारी किये हैं।

तदनुक्रम में संस्थान/शासन के महत्वपूर्ण कार्यों के दृष्टिगत शासकीय निर्देशानुक्रम में सभी विभागाध्यक्ष अपने विभागीय संकाय सदस्यों/ अधिकारियों/ कर्मचारियों की 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

शासकीय निर्देशन के क्रम में संस्थान में अपने कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान पूर्व निर्देशों की भाँति यथावत् रखेंगे।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

V. C. S.

(प्रो० वी० के० त्यागी)
निदेशक

प्रतिलिपि:

1. समस्त विभागाध्यक्ष/ डीन/ अध्यक्ष/ प्रभारी।
2. चिकित्साधिकारी।
3. कुलसचिव।
4. वित्त एवं लेखाधिकारी।
5. शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक शाखा बी०आई०ई०टी०, झाँसी।
6. प्रभारी, डाक शाखा बी०आई०ई०टी०, झाँसी।
7. प्रभारी, बागवानी एवं कैम्पस अप-कीप एवं प्रभारी, सिविल अनुरक्षण को इस निर्देश के साथ कि, साफ-सफाई, सेनेटाईजिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों की समुचित व्यवस्था पूर्व निर्देशानुसार करेंगे।
8. प्रभारी, वेब साईट को उपलोड किये जाने हेतु।
9. समस्त सूचना पट्ट।
10. सम्बंधित पत्रावली।

(प्रो० वी० के० त्यागी)
निदेशक